

अधिसूचना

सरकारी स्टॉक (जी एस) की बिक्री (निर्गम/पुनर्निर्गम) के लिए नीलामी

एफ.संख्या4(5)बी(डब्ल्यूएंडएम)/2020:भारत सरकार एतद द्वारा नीचे दिए गए अनुसार सरकारी स्टॉक, की बिक्री (निर्गम/पुनर्निर्गम) अधिसूचित करती है।

प्रतिभूति का नाम	मूल निर्गम की तारीख	मूल अवधि (वर्ष-माह-दिन)	परिपक्वता की तारीख	नीलामी का आधार	नीलामी की विधि	अधिसूचित राशि (करोड़ ₹ में)
6.18% सरकारी प्रतिभूति 2024	04 नवम्बर, 2019	05-00-00	04 नवम्बर, 2024	मूल्य	विविध	9,000
7.57% सरकारी प्रतिभूति 2033	20 मई, 2019	14-00-27	17 जून, 2033	मूल्य	विविध	5,000
नया सरकारी स्टॉक, 2050	20 अप्रैल, 2020	30-05-00	20 सितम्बर, 2050	लाभ	विविध	6,000

भारत सरकार के पास उपरोक्त प्रतिभूतियों में से किसी एक या एक से अधिक के लिए 2,000 करोड़ रुपये की सीमा तक अतिरिक्त अभिदान बनाए रखने का विकल्प होगा जो कि एक ही नीलामी में अन्य प्रतिभूतियों के तहत सेटऑफ करके, अधिसूचित राशि के भीतर या अधिसूचित राशि से अधिक हो सकता है। वर्ष 2020-21 की पहली छमाही में प्राप्त अतिरिक्त अभिदान राशि 20,000 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगी और इसे 2020-21 की दूसरी छमाही में समायोजित कर दिया जाएगा। यह बिक्री इस अधिसूचना (जिसे 'विशिष्ट अधिसूचना' कहा गया है) में उल्लिखित शर्तों के अधीन होगी। इस प्रतिभूति की बिक्री भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई-400001 के माध्यम से भारत सरकार द्वारा जारी सामान्य अधिसूचना एफ.संख्या 4(2)-डब्ल्यू एंड एम/2018, तारीख 27 मार्च 2018 में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन की जाएगी।

अप्रतिस्पर्धी बोलीदाताओं को आबंटन

2. सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामियों में अप्रतिस्पर्धी बोली देने की सुविधा की संलग्न स्कीम (अनुबंध) के अनुसार, बिक्री की अधिसूचित राशि का 5 प्रतिशत तक सरकारी स्टॉक पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आबंटित किया जाएगा।

नीलामी का स्थान एवं तारीख

3. यह नीलामी भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई-400001 द्वारा 17 अप्रैल, 2020 को संचालित की जाएगी। नीलामी हेतु बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक कोर बैंकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर) प्रणाली संबंधी इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में 17 अप्रैल, 2020 को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।

कब निर्गमित कारोबार

4. यह स्टॉक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, 'कब निर्गमित' कारोबार के लिए पात्र होगा।

निर्गम की तारीख और स्टॉक के लिए भुगतान

5. नीलामी का परिणाम भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपने फोर्ट स्थित मुंबई कार्यालय में 17 अप्रैल, 2020, को प्रदर्शित किया जाएगा। सफल बोलीदाताओं द्वारा भुगतान 20 अप्रैल, 2020 अर्थात् निर्गम/पुनर्निर्गम की तारीख को किया जाएगा। स्टॉक के लिए भुगतान में नीलामी में आबंटित स्टॉक के अंकित मूल्य पर, मूलनिर्गम/अंतिम कूपन भुगतान की तारीख से प्रोद्भूत ब्याज देय होने की तारीख तक प्रोद्भूत ब्याज शामिल होगा जैसा कि पैरा 6 में तालिका में उल्लिखित है।

ब्याज का भुगतान और स्टॉक का पुनर्भुगतान

6. मूल निर्गम/अंतिम कूपन भुगतान की तारीख से स्टॉक के अंकित मूल्य पर ब्याज प्रोद्भूत होगा तथा इसका भुगतान अर्द्धवार्षिक आधार पर किया जाएगा। स्टॉक का पुनर्भुगतान परिपक्वता की तारीख पर सममूल्य पर किया जाएगा।

प्रतिभूति का नाम	कूपन दर (%)	अंतिम कूपन भुगतान की तारीख	किस तारीख तक प्रोद्भूत ब्याज देय है	कूपन भुगतान की तारीख (तारीख/माह)
6.18% सरकारी प्रतिभूति 2024	6.18	04 नवम्बर, 2019	19 अप्रैल, 2020	04 मई और 04 नवम्बर
7.57% सरकारी प्रतिभूति 2033	7.57	17 दिसम्बर, 2019	19 अप्रैल, 2020	17 जून और 17 दिसम्बर
नया सरकारी स्टॉक, 2050	लाभ आधारित #	नया स्टॉक	नया स्टॉक	20 सितम्बर और 20 मार्च

प्रतिभूति के लिए कूपन दर का निर्णय नीलामी में निर्धारित परिपक्वता दर की कटआफ लाभ पर किया जाएगा। ब्याज का भुगतान अर्द्ध-वार्षिक आधार पर किया जाएगा,

भारत के राष्ट्रपति के आदेश से

(रजत कुमार मिश्र)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार